



## हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड, धर्मशाला -176213

क्रमांक:हि.शि.बो.(19) संचालन-1/HGTU/अगस्त-2023-3124 दिनांक: 02/9/2023.

### अधिसूचना

अधिसूचित किया जाता है कि माननीय अध्यक्ष, हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा बोर्ड अधिनियम 1968 की धारा 19(3) के अन्तर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए हिमाचल प्रदेश अध्यापक संघ की मांग के दृष्टिगत सितम्बर 2023, से केन्द्र अधीक्षक, उप-अधीक्षक की पारिश्रमिक/मानदेय राशि में क्रमशः ₹100 से ₹110, ₹90 से ₹100 तथा मानदेय सीटों की योजना टाइप करने के ₹25 से ₹30, आरक्षण माडल सैट करने के लिए ₹30 से ₹35, तथा चतुर्थ श्रेणी के लिए ₹40 से ₹45 रुपये प्रति सत्र की दर से वृद्धि करने के सहर्ष आदेश प्रदान किए जाते हैं।

डॉ० मेजर विशाल शर्मा, (HAS)  
सचिव

पृष्ठांकन संख्या:यथोपरि/

उपरोक्त की प्रति निम्नलिखित को विषय बार सहित प्रेषित है।

1. प्रधान सचिव (शिक्षा) हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला-171002
2. निजी सचिव, माननीय अध्यक्ष/सचिव।
3. निदेशक, उच्चतर शिक्षा हिमाचल प्रदेश, शिमला-171002
4. अतिरिक्त सचिव/समस्त संयुक्त/उप सचिव/सहायक सचिव, हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड।
5. समस्त अनुभाग अधिकारी/जिला प्रबन्धक, हि०प्र० स्कूल शिक्षा बोर्ड।
6. उप नियन्त्रक वित्त एवं लेखा सहायक नियन्त्रक, हि०प्र० स्कूल शिक्षा बोर्ड।
7. अनुभाग अधिकारी सामान्य शाखा को इस आशय से प्रेषित है कि अधिसूचना को आगामी बोर्ड की बैठक में समपुष्टी प्रस्तुत करेंगे।
8. अनुभाग अधिकारी, कम्प्यूटर आई टी सैल को इस आशय से प्रेषित है कि अधिसूचना को बोर्ड की बैवसाइट पर अपलोड करेंगे।

डॉ० मेजर विशाल शर्मा, (HAS)  
सचिव